Rule 14 : Grant of registration to a person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient

(1) Any person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a non-taxable online recipient shall electronically submit an application for registration, duly signed or verified through electronic verification code, in **FORM GST REG-10**, at the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner.

(2) The applicant referred to in sub-rule (1) shall be granted registration, in **FORM GST REG-06**, subject to such conditions and restrictions and by such officer as may be notified by the Central Government on the recommendations of the Council.

नियम 14 : भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रदान किया जाना

(1) भारत से बाहर किसी स्थान से आनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या सुधार सेवाओं की किसी गैर कराधेय आनलाइन प्राप्तिकर्ता को पूर्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित आवेदन सामूहिक या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से सामान्य पोर्टल पर **प्ररूप जीएसटी आरईजी–10** में प्रस्तुत करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदक को, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, **प्ररूप जीएसटी आरईजी–06** में प्रदान किया जाएगा।